भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

उच्चतर शक्षा वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1229

उत्तर देने की तारीख-**08/12/**2025

दिल्ली वश्व वद्यालय में नि ध की कमी

†1229.श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या दिल्ली वश्व वद्यालय वर्तमान वत्त वर्ष 2025-26 में 462 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, जब क वगत वर्ष यह घाटा 248 करोड़ रुपये था और यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवर्ती व्ययों में वृद् ध को देखते हुए वश्व वद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आवंटन को उसी हिसाब से नहीं बढ़ाया गया और वश्व वद्यालय को व्यय को पूरा करने के लए कुछ हद तक छात्रों के शुल्क में वृद् ध करनी पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो वगत तीन वर्षों के दौरान वश्व वद्यालय के व्यय में हुई वृद् ध और वश्व वद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अव ध के दौरान छात्रों के शुल्क में हुई बढ़ोतरी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) दिल्ली वश्व वद्यालय की वत्तीय संकट की समस्या को हल करने के लए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शक्षा मंत्रालय **"**केन्द्रीय वश्व वद्यालयों को अनुदान**"** के अंतर्गत वश्व वद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को एकमुश्त अनुदान जारी करता है जो दिल्ली वश्व वद्यालय (डीयू) सहित केन्द्रीय वश्व वद्यालयों (सीयू) को उनकी आवश्यकताओं, पछले वर्ष के दौरान कए गए व्यय के साथ-साथ नि धयों की उपलब्धता के आधार पर धनरा श आबंटित करता है। वश्व वद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, पछले तीन वर्षों के दौरान वेतन और आवर्ती शीर्षों के अंतर्गत दिल्ली वश्व वद्यालय को दिए जाने वाले अनुदानों में लगातार वृद् ध की गई है। इसके अलावा, दिल्ली वश्व वद्यालय द्वारा इस मंत्रालय को नि ध घाटे के कारण शु:ल्क में वृद् ध की

ऐसी कसी घटना की सूचना नहीं दी गई है। यूजीसी ने वत्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक दिल्ली वश्व वद्यालय को 821 करोड़ रुपये की धनरा श के आवंटन की सूचना दी है।

दिल्ली वश्व वद्यालय संसद के अ धनियम के तहत स्था पत एक स्वायत्त संस्थान है जो अपने स्वयं के, अ धनियमों, सं व धयों, अध्यादेशों और वनियमों आदि द्वारा शा सत होता है और वश्व वद्यालय स्वतः शैक्ष णक और प्रशासनिक मामलों के साथ-साथ फस में वृद् ध के मामलों पर निर्णय लेने के लए सक्षम है।

*****